सत्यमेव जयते

राजस्थान विधानसभा

जनलेखा समिति, वर्ष2019-20

45वाँप्रतिवेदन

(पन्द्रहवीं विधानसभा)

[भारत के नियंत्रक-**महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन** (सामान्य एवं **सामाजिक क्षेत्र**) वर्ष 2016-17के **अनुच्छेद संख्या** 3.8 में समाविष्टतकनीकी शिक्षा **विभाग से** संबंधित मामलों पर प्रतिवेदन]

(यह प्रतिवेदन सदन में दिनांक .....को उपस्थापित किया गया)

राजस्थान विधानसभा सचिवालय

जयपुर

मूल्य ₹.....

विषय-सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	
2.	प्रतिवेदन अंकेक्षण प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17का अनुच्छेद संख्या 3.8तकनीकी शिक्षा विभाग	
3.	परिशिष्ट-एक (सिफारिशों का सार)	
4.	परिशिष्ट-दो (26 महिला छात्रावासों की वर्तमान स्थिति)	

<u>प्रस्तावना</u>

1. जनलेखा समिति, वर्ष2019-20द्वारा प्राधिकृत करने पर मैं, सभापति, जनलेखा समिति, 2019-20, समिति का **45वाँ** प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं।

2. इस प्रतिवेदन का संबंध भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17के अनुच्छेद संख्या 3.8में समाविष्टतकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों से है।

3. इस प्रतिवेदन को समिति ने दिनांक 24 दिसम्बर 2019को हुई बैठक में विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से अनुमोदित कर सदन में उपस्थापन हेतु अभिस्वीकृत किया।

4. समिति की सिफारिशों का सार प्रतिवेदन के परिशिष्ट-एक में दिया गया है।

5. समिति ने सी. ए. जी. प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.8 पर विस्तार से विभागीय अधिकारियों से विचार-विमर्श एवं लिखित उत्तर का गहनतम अध्ययन किया एवं पाया कि विभाग कीअनुपयुक्त योजना के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला छात्रावास के निर्माण पर ₹ 2.11 करोड़ का व्यय किया जो निष्फल सिद्ध हुआ, जिसे समिति ने गंभीरता से लेते हुए प्रतिवेदन में सिफ़ारिशें की हैं।

6. समिति प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर और उनके कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिये गये सहयोग के लिए आभार प्रकट करती है।

विधानसभा भवन, **(गुलाब चन्द कटारिया)**
जयपुर। **सभापति**
दिनांक: 24 दिसम्बर 2019 **जनलेखा समिति, वर्ष2019-20**

प्रतिवेदन

सीएजी प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र)वर्ष 2016-17का अनुच्छेद संख्या 3.8(पृष्ठ संख्या 175 से 177)

तकनीकी शिक्षा विभाग

3.8 छात्रावास भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना के कारण पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिला छात्रावास के निर्माण पर ₹ 2.11 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के क्रम में कौशल विकास के लिए समन्वित कार्यवाही के तहत देशव्यापी योजना की शुरूआत की। इस योजना में 500 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जिनमें छात्रावास एवं आवास की अपर्याप्त सुविधा हों, में महिला छात्रावास निर्माण की परिकल्पना की गयी। भारत सरकार ने प्रत्येक छात्रावास के लिए ₹ एक करोड़ की एकबारीय वित्तीय सहायता प्रदान की।

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय (महाविद्यालय) सांगानेर, जयपुर 120 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ वर्ष2006 में स्थापित हुआ था तथा इसमें पूरे राज्य से आने वाली महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा नहीं थी। महाविद्यालय ने 90 विद्यार्थियों के लिये ₹ 2.20 करोड़ की अनुमानित लागत से छात्रावास निर्माण प्रस्तावित किया। समीपस्थ जिलों के विद्यार्थियों, जिन्हेंवास्तव में छात्रावास सुविधा की आवश्यकता थी, की संख्या के रूझान पर आधारित आवश्यकता पर विचार किये बिना निदेशक, तकनीकी शिक्षा द्वारा महाविद्यालय में महिला छात्राओं की कुल स्वीकृत संख्या के आधार पर एक विस्तृत योजना रिपोर्ट प्रस्तावित की गयी। तदनुसार, भारत सरकार का अंशदान ₹ एक करोड़ (भवननिर्माण हेतु ₹ 0.95 करोड़ और फर्नीचर और फिक्स्चर्स हेतु ₹ 0.05 करोड़) नवम्बर 2010 में स्वीकृत हुआ तथा राज्य सरकार का अंशदान ₹ 1.20 करोड़ नवम्बर 2011 में स्वीकृत किया गया। छात्रावास भवन निर्माण जयपुर शहर के प्रताप नगर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ₹ 2.09 करोड़ के व्ययके साथ फरवरी 2014 में पूर्ण किया गया। इसके अतिरिक्त ₹ 0.02 करोड़ का व्यय बिस्तर फर्नीचर व बर्तन की खरीद पर कियागया।

महाविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच (नवम्बर 2016) से प्रकट हुआ कि छात्रावास के निर्माण कार्य की समाप्ति तथा अगस्त 2014 में नये शैक्षणिक सत्रके प्रारंभ सेकिसी भी छात्रा ने छात्रावास में प्रवेश नहीं लिया था, जबकि छात्राओं की महाविद्यालय में प्रवेश की संख्यावर्ष2014-15 एवं वर्ष2015-16 प्रत्येक में 317,वर्ष2016-17 में 303 तथा वर्ष2017-18 तक 308 रही।

महाविद्यालय ने सूचित (मई 2017) किया कि छात्राओं ने छात्रावास में प्रवेश नहीं लिया क्योंकि महाविद्यालय का छात्रावास स्थानीय बाजार एवं बस स्टेण्ड से दूर होने के कारण कुछ छात्राऐंया तो अपने संबंधियों के साथ या समीपस्थ निजी छात्रावास में रही। अग्रेत्तर, वर्तमान में समीपस्थ जिलों से छात्राओं की संख्या केवल 10 थी।

इस प्रकार, आवश्यकता का समुचित आंकलन किये बिना और केवल छात्राओं की कुल संख्या की प्रतिशतता के आधार पर छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय दोषपूर्ण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.11 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ क्योंकि फरवरी 2014 में छात्रावास के पूर्ण होने के बाद से ही एक भी छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त 2017) कि महिला सशक्तिकरण के लिये तकनीकी शिक्षा की ओर बालिकाओं के प्रोत्साहन एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में महिला विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण की भारत सरकार की नीति के अनुसार छात्रावास भवन का निर्माण किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सरकारी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय सांगानेर, जयपुर द्वारा छात्रावास के निर्माण का एकमात्र उद्देश्य समीपस्थ जिलों से आने वाली महिला विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा देना था। तथ्य यह है कि स्थानीय प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण छात्रावास के पूर्ण होने के बाद किसी भी बालिका विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया, अनुपयुक्त योजना बनाना इंगित करता है।

विभाग ने लिखित उत्तर(दिनांक 18.01.2019) में बताया किभारतीय समाज में पुरानी रूढ़ियों के चलते व महिलाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता के कारण, तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं बालिकाओं का तकनीकी शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने के लिये उन्हें सुरक्षित व कम खर्च में आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार के केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के Skilled Development Mission के अन्तर्गत राजस्थान में 19 राजकीय सह-शिक्षा एव सांगानेर सहित 07राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों (कुल 26 पॉलिटेक्निक

महाविद्यालयों) का चयन किया गया। जिसके लिये कुल ₹2600.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई। प्रत्येक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ₹100.00 लाख महिला छात्रावासों के भवन निर्माण (₹95.00 लाख भवन निर्माण, ₹5.00 लाख फर्नीचर) क्रय हेतु रखा गया।

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18 में राज्य में तकनीकी शिक्षा के संस्थान(पॉलिटेक्निक) एवं उनकी प्रवेश क्षमता निम्नानुसार थीः-

Year	Government		Private	
	No. of Polytechnic	Intake	No. of Polytechnic	Intake
2009-10	27	4730	44	22810
2010-11	32	5860	137	39550
2011-12	37	6140	140	40910
2012-13	36	6080	143	41330
2013-14	41	5960	164	48185
2014-15	41	6080	175	51655
2015-16	42	6280	172	50455
2016-17	42	5470	155	45115
2017-18	42	6450	140	40195

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 में राज्य में जब 26 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों का चयन किया जाकर उनमें महिला छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई थी तब राज्य में राजकीय पॉलिटेक्निक (27) एवं उनमें प्रवेश क्षमता (4730) न्यूनतम थी। राज्य के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में महिला छात्रावास नहीं होने के कारण ग्रामीण व अन्य शहरों से आने वाली छात्राओं को किराये के मकान लेकर रहना पड़ताहै, जो उनकी सुरक्षा/आर्थिक दृष्टि के अनुकूल नहीं होता। इस कारण से छात्रायें कम प्रवेश लेती हैं तथा अनेक छात्राएँ अध्ययन बीच में ही छोड़ देती हैं। अतः भारत सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुसार राज्य के पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण का कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया ताकि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं का प्रवेश अधिक से अधिक हो।

परन्तु उत्तरोत्तर वर्षों में राज्य में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा नई अनुमतियों से पॉलिटेक्निकों की संख्या (182) एवं उनकी प्रवेश क्षमता (46,645) में कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई। जिससे राज्य में महिलाओं को अपने निवास स्थान के निकट ही पॉलिटेक्निक में प्रवेश सुलभ होने लगा। इस कारण आशा के अनुरूप नव-निर्मित महिला छात्रावास में छात्राओं का प्रवेश नहीं हुआ।

राजस्थान में तकनीकी शिक्षा विभाग में 26 महिला छात्रवासों का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 26 महिला छात्रावासों में से 23 छात्रावास का भवन निर्माण कार्य कर सबंधित संस्थानों को

भवन सुपुर्द कर दिया है। इन संस्थाओं में निर्मित छात्रावास भवन निर्माण का यू. सी. मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को भिजवाये जा चुके हैं।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये निदेशालय के पत्र क्रमांक 5036-39 दिनांक 26.03.2018, 12896-98 दिनांक 02.08.2018 एवं 1563 दिनांक 12.09.2018 एवं राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के स्तर पर छात्रावास में अन्य राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की छात्राओं को प्रवेश देने हेतु लगातार पत्र व्यवहार किया जा रहा है। उम्मीद है कि शीघ्र ही अन्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों की छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश देकर छात्रावासों का उपयोग कर लिया जायेगा। इसके लिये विभाग सतत् प्रयत्नशीलहै।

उल्लेखनीय है कि बालिकाओं के सशक्तिकरण के उक्त प्रयास एक सामाजिक निवेश है, जिसके परिणाम धीरे-धीरे ही आते हैं।

<u>प्रधान महालेखाकारकार्यालय की संवीक्षा टिप्पणी</u>

(i)राज्य सरकार का जवाब आक्षेप के अनुसार नहीं होकर सामान्य प्रकृति का है जिसमें सामान्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है जबकिआक्षेप आवश्यकता के गलत आंकलन एवं दोषपूर्ण निर्णय से संबंधित है। अतः इस संदर्भ में तद्नुसार विभागीय उत्तर अपेक्षित है।

(ii) महाविद्यालय के पत्र दिनांक 25.05.2017 के अनुसार तत्समय बाहरी छात्राओं की संख्या 10 थी तथा साथ हीवर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान छात्रावास में आवंटन शून्य रहा जबकि प्रवेश संख्या क्रमशः 317, 317 एवं 303 रही थी। अतः स्पष्ट होता है कि बाहरी छात्राओं की संख्या के बजाय पूर्ण स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजे जाने के कारण छात्रावास रिक्त रहा है, जिस पर किया गया व्यय निष्फल साबित हुआ है।वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक छात्रावास में प्रवेश के लिए कॉलेज प्रशासन नेक्या प्रयास किये तथा उपरोक्त अवधि में कितनी छात्राओं ने छात्रावास में प्रवेश लिया,विवरण सहित अवगत कराना अपेक्षित है।

(iii) विभाग ने नवनिर्मित महिला छात्रावास में प्रवेश नहीं लेने का कारण उत्तरोत्तर वर्षों में राज्य में महिलाओं को अपने निवास स्थान के निकट ही पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश सुलभ होना बताया है। क्या उक्त तथ्य विभागीय नियोजन के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण विचारणीय नहीं थे, अवगत कराना अपेक्षित है।

तथ्य यह है कि स्थानीय प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण छात्रावास के पूर्ण होने के बाद किसी भी बालिका विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया, अनुपयुक्त योजना बनाना इंगित करता है।

<u>विभाग ने संवीक्षा टिप्पणी उपरांत अंतिमक्रियान्विति(दिनांक 21.10.2019) में बताया कि</u>

तकनीकी शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं बालिकाओं का तकनीकी शिक्षा के प्रति रूझान उत्पन्न करने के लिए उन्हें सुरक्षित एवं कम खर्च के आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के स्किल डवलपमेन्ट के राष्ट्रीय मिशन के अन्तर्गत अन्य राज्यों के साथ-साथ राजस्थान में 19 राजकीय सह-शिक्षा एवं सांगानेर सहित 07 राजकीय महिला पॉलिटेक्निकमहाविद्यालयों (कुल 26 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों) का चयन किया गया। प्रत्येक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को ₹ 100.00 लाख (₹ 95.00 लाख भवन निर्माण एवं ₹ 05.00 लाख फर्नीचर हेतु) का प्रावधान रखा गया।

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2018-19 में राज्य में तकनीकी शिक्षा में पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं उनकी प्रवेश क्षमता निम्नानुसार थी:

वर्ष	राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय		निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय	
	संख्या	प्रवेश क्षमता	संख्या	प्रवेश क्षमता
2009-10	27	4730	44	22810
2010-11	32	5860	137	39550
2011-12	37	6140	140	40910
2012-13	36	6080	143	41330
2013-14	41	5960	164	48185
2014-15	41	6080	175	51655
2015-16	42	6280	172	50455
2016-17	42	5470	155	45115
2017-18	42	6450	140	40195
2018-19	43	6480	108	29415

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ष 2009-10 में राज्य में जब 26 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों का चयन किया जाकर उनमें महिला छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृति जारी की गई थी, तब राज्य में 27 राजकीय पॉलिटेक्निकों में प्रवेश क्षमता मात्र 4730 (न्यूनतम) थी। राज्य के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में महिला छात्रावास नहीं होने के कारण ग्रामीण व अन्य शहरों से आने वाली छात्राओं को किराये के मकान लेकर रहना पड़ता था जो उनकी सुरक्षा/आर्थिक दृष्टि के अनुकूल नहीं था। इस कारण से छात्राएँ कम प्रवेश लेती तथा अनेक छात्राएँ अध्ययन बीच में हीछोड़ देती

थी। अत: भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तर के इस नीतिगत निर्णय के अनुसार राजकीय पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों के निर्माण का कार्य करवाये जाने का निर्णय लिया गया ताकि पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं का प्रवेश अधिक से अधिक हो।

परन्तु उत्तरोतर वर्षों में राज्य में एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा नई पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों को अनुमति दिये जाने से उनकी संख्या 216 (2014-15 में) एवं प्रवेश क्षमता में 57735 (2014-15 में) हुई। अर्थात कई गुणा बढ़ोत्तरी हुई। जिससे राज्य में बालिकाओं को उनके निवास स्थान के निकट ही पॉलिटेक्निक एवं अन्य महाविद्यालयों में प्रवेश की सुविधा उपलब्ध होने लगी। इस कारण आशा के अनुरूप नव निर्मित महिला छात्रावास में बालिकाओं का प्रवेश नहीं हुआ। अत: केवल वर्ष 2009-10 के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय को गलत आंकलन एवं दोषपूर्ण निर्णय नहीं कहा जा सकता है।

छात्राओं को आकर्षित करने के लिये प्रवेश विवरणिका में हॉस्टल सुविधा का उल्लेख किया गया। छात्राओं से ऑप्शन फार्म मांगे गये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अन्य कॉलेजों को पत्र लिखकर अन्य संस्थाओं की बालिकाओं को छात्रावास में प्रवेश देने का प्रावधान देने का प्रयास किया जा रहा है।

(ii) वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान महाविद्यालय में प्रवेशित छात्राओं की संख्या क्रमश: 317, 317 एवं 303 होने के उपरान्त भी छात्रावास में छात्राओं का आंवटन शून्य रहा। इसके प्रमुख कारणों में:

(अ)जयपुर में 02 महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होने एवं इन महाविद्यालयों में स्थानीय छात्राओं द्वारा अधिक प्रवेश लिया जाना, बाहरी छात्राओं को अपने गाँव/कस्बे/शहर के निकट प्रवेश सुविधा मिलना, अभिभावकों/छात्राओं का सुरक्षा के प्रति अधिक संवेदनशील होना आदि हैं।

(ब)छात्रावास में छात्राओं की देखभाल एवं सुरक्षा के लिये हॉस्टल वार्डनएवं हॉस्टलमेंट्रन का पद सृजित नहीं है तथा हॉस्टल वार्डन एवं हॉस्टलमेंट्रन के रहने के लिये आवास की आवश्यकता है।

(स)इन छात्रावासों के चारों तरफ बाउण्डरी वॉल नहीं बनी है। इसके अभाव में भी छात्राएँ, इन छात्रावासों में असुरक्षित महसूस करने के कारण प्रवेश नहीं ले पा रही है।

भारतीय समाज में पुरानी रूढ़ियों के चलते व पिछड़े इलाकों की बालिकाओं में तकनीकी शिक्षा के प्रति कम जागरूकता एवं इन इलाकों में महिला छात्रावासों के लम्बे समय से अभाव, कम आवागमन के साधनों की कमी के इन संस्थाओं एवं छात्रावासों में प्रवेश कम हो रहे हैं, परन्तु राज्य/देश की आधी आबादी (बालिकाओं) को तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित करने एवं सशक्तिकरण हेतु भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा हॉस्टल सुविधा के रूप में बालिकाओं को सुविधा का यह प्रयास सराहनीय है।

संस्था में महिला छात्रावास प्रारम्भ करने के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की मंशा राज्य में बालिकाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था, यह राष्ट्रीय नीतिगत निर्णय राज्य में बालिकाओं के भविष्य में दृष्टिगत उनके सशक्तिकरण के लिये सामाजिक निवेश है, यह कोई बिजनेस इन्वेस्टमेन्ट नहीं है। ऐसी सुविधायें बालिकाओं के भविष्य के लिये कृतज्ञ राष्ट्र का एक छोटा सा प्रयास है। इसके परिणाम भविष्य में दृष्टिगोचर होगें।

शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिये निदेशालय के पत्र क्रमांक 5036-39 दिनांक 26.03.2018, 12896-98 दिनांक 02.08.2018 एवं 1563 दिनांक 12.09.2018 एवं राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के स्तर पर छात्रावासों में अन्य राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयय की छात्राओं को प्रवेश देने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि शीघ्र ही अन्य राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालयों की छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश देकर छात्रावास का उपयोग कर लिया जायेगा। इसके लिये कॉलेज/विभाग सतत प्रयत्नशील है। गत वर्ष कुल 06 छात्राओं द्वारा छात्रावास में प्रवेश लेने हेतु आवेदन किया गया है, जिनमें से 04 ने छात्रावास में प्रवेश लिया था।

अभी इसका उपयोग निम्न गतिविधियों के लिये किया जा रहा है-

1. प्रदर्शनी हेतु,एन सी सी आदि संचालन

2. एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा दर्शायी गयी भवन सम्बन्धी कमियों को पूरा करने के लिये छात्रावास का उपयोग ।

(iii) उक्त बिन्दु के सन्दर्भ में यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2009-10 तक बिन्दु संख्या के 01 में दर्शित सारणी के अनुसार सत्र 2009-10 में मात्र 27 राजकीय एवं 44 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय थे। परन्तु भारत सरकार द्वारा तकनीकी

शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत महाविद्यालय एवं उनकी प्रवेश क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई। राष्ट्रीय नीति होने के कारण, उक्त तथ्य राज्य के विभागीय नियोजन में नहीं था।आधुनिक भारत में अभिभावकों के मन में भय/सुरक्षा के प्रति संदेह की भावना एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते नित नये अपराध एवं दुष्कर्मों की घटनायें हॉस्टल सुविधा के व्यापक उपयोग में बाधक हैं। यह तथ्य अत्यन्त विचारणीय है जो हॉस्टल जैसी सुविधा के व्यापक उपयोग में बाधक की भूमिका निभाता है।

अनुच्छेद के सम्बन्ध में दिनांक 24.10.2019 को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा विभागीय अधिकारियों से किये गये विचार विमर्श का शब्दश: विवरण निम्नानुसार है:-

समिति ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के अनुच्छेद संख्या 3.8, छात्रावास भवन के निर्माण पर निष्फल व्यय के बारे में जानकारी चाही कि इसके बारे में बताइये।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि निदेशक बताएंगे।

समिति का प्रश्न था कि इसमें आपने जो प्रपोजल भेजा था, वह टोटल स्ट्रेंथ के आधार पर भेजा। आपने इस बात की स्टडी नहीं की कि वहाँ लड़कियां कितनी हैं, आउट साईड की कितनी बच्चियां हैं? इस कारण से इस पैसे का ही उपयोग नहीं हो पाया। क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं थी कि बाहर की लड़कियां कितनी थीं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि इसका मैंने अध्ययन किया है। मैंने पाया कि कुछ सुविधाएं डवलप कर दी जाएं तो लड़कियां भी पूरी आएंगी और आसपास के कॉलेज, यूनिवर्सिटी की लड़कियां भी रहना पसंद करेंगी। अभी एनुअल प्लान की मीटिंग हुई थी, उसमें हमने प्रस्ताव दिया है। उसमें एक प्रस्ताव तो यह दिया है कि हॉस्टल वार्डन का पद स्वीकृत कराया जाये, मेंट्रन का पद क्रियेट किया जाये। यहाँ केवल भवन बना हुआ है और लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं, यहाँबाउण्ड्री-वॉल भी बने, और ये सब सुविधाएं मिलती हैं तो इस पूरे हॉस्टल का यूज होगा। पूरा हॉस्टल काम में आयेगा। वर्चुअली न तो हॉस्टल वार्डन की व्यवस्था है और न ही मेंट्रन की व्यवस्था है, न ही चारों तरफ बाउण्ड्री-वॉल बनी हुई है, न ही कॉमन गर्ल्स रूम है। हमने एनुअल मीटिंग में यह प्रपोजल रखा है और यह असेप्ट भी हो गया है। पद सृजित हो गये हैं और आने वाले हैं। ये सुविधाएं क्रियेट करते ही पूरा हॉस्टल काम करेगा। आसपास के कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की लड़कियां भी, जहां उनको सुविधा नहीं है, वे भी यहाँ रहने लगेंगी। इसका उपयोग तो हो रहा है। यह बिलकुल यूजलेस

नहीं पड़ा है। कुछ मापदण्डों में कमियां हैं। इन कमियों को दूर कर रहे हैं। बिलकुल यूजलेस नहीं है, चूंकि लड़कियों के लिये ही बना है, कुछ सुविधाएं और हो जाएंगी तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से फुल क्षमता के साथ यह काम करेंगे।

समिति का प्रश्न था कि यह ₹2.09 करोड़ से पूर्ण किया गया। इतने साल तक हॉस्टल का उपयोग नहीं हुआ, उसके लिये कौन जिम्मेदार है?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि जो पैसा आया, सेन्ट्रल से जो एक करोड़ रुपया आया, वह भवन बनाने के लिये ही आया। ₹95 लाख भवन बनाने के लिये और ₹5 लाख फर्नीचर के लिये था। इस राशि से भवन खड़ा कर दिया तो दूसरी सुविधाओं की आवश्यकता जरूरी हुई, अब इसका प्रावधान कर दिया है और विश्वास है कि एक-दो साल में ये सारी सुविधाएं हो जाएंगी।

समिति का प्रश्न था कि सरकार ने कभी पता लगाने की चेष्टा भी नहीं की कि इस प्रकार की असेट क्रियेट कर दी, लेकिन इस असेट के उपयोग के लिये दूसरी सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इसकी कोई तैयारी नहीं की। आपने भवन बनाने में करोड़ रुपये लगा दिये, लेकिन उनका कोई यूज नहीं किया। आपके पास कोई डिमाण्ड नहीं है।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि यह सेन्ट्रल से ग्राण्ट मिली थी।

समिति का मत था कि इसका यूज होना चाहिए था।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि बिल्डिंग बनाने के लिये पैसा दिया है।

समिति का प्रश्न था कि पैसा दिया है, इसके लिये तो भारत सरकार का धन्यवाद है और आपका भी धन्यवाद है। लेकिन पैसे का उपयोग करने के लिये आपकी कोई तैयारी नहीं है। पैसा उपयोग हो, इसके लिये कोई तैयारी नहीं है। उसके लिये कौन जिम्मेदार है? आज कितनी बच्चियां हैं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि4 बच्चियां हैं।

समिति का प्रश्न था कि महिला छात्रावास आपने बनाये, आपने बताया कि सेन्ट्रल से पैसा दिया गया। लेकिन उसकी बाउण्ड्री आपने नहीं बनाई। न आपके पास हॉस्टल वार्डन, न मेंट्रन है, न उसके पद सृजित हैं। फिर वहाँ किस तरह की सुविधाएं होंगी। बिना इनके बच्चियां कैसे रहेंगी? इनके न होने के लिये कौन जिम्मेदार है? आपने भवन तो बना दिया। बिना सुविधाओं के 4 बच्चे ही आयेंगे। जब तक बच्चियों की सुरक्षा नहीं होगी तो कौन अपनी बच्चियों को रहने के लिये छोड़ेगा। आपके हॉस्टल वार्डन नहीं हैं, मेंट्रन नहीं है, फिर कौन आयेगा, कौन भेजेगा?

समिति का मत था कि चौकीदार भी बहुत जरूरी है।

समिति का प्रश्न था कि सुरक्षा की पूरी, मुकम्मल व्यवस्था होती, चौकीदार होता, हॉस्टल वार्डन का पद सृजित होता, मेंट्रन का पद सृजित होता। ये सब नहीं हुए, इसके लिये कौन जिम्मेदार है? आप यह बताइये।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि यह 2016 में ही हॉस्टल कम्पलीट हुए हैं तो सरकार से अब ये सारे पद और सुविधाएं मांगी जा रही हैं।

समिति का मत था किबिना चारदीवारी के आप हॉस्टल को कम्पलीट नहीं मान सकते हैं। कम्पलीट होने का मतलब यह है कि एक गेट से ही एण्ट्री हो, ऐसा नहीं कि कोई दीवार ही न हो। बिना चारदीवारी के, बिना सुरक्षा के कोई अपनी बच्चियों को कैसे छोड़ेगा?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि उसके लिये पैसा मांगा जा रहा है।

समिति का मत था किचारदीवारी का खर्चा तो बिल्डिंग में ही इन्क्लूड होना चाहिए था।

निदेशक ने उत्तर में बताया किसेन्ट्रल से पैसा आया था।

समिति का प्रश्न था किआप स्टेट से मांग लेते।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि अब मांग लिया है।

समिति का प्रश्न था कि भारत सरकार से पैसा कब आया था?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि2016 में।

समिति का प्रश्न था कि आपका भवन बन गया। उसमें कमियां रह गईं। उन कमियों को दूर करने के लिये आपने कब-कब एप्रोच किया? आपने इन कमियों को दूर करने के लिये पहली बार कब पत्र भेजा कि इन छात्रावासों में यह कमियां हैं।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि मैंने जुलाई में ज्वाइन किया है। प्लान की एनुअल मीटिंग में इसका प्रस्ताव भेज दिया है।

समिति का मत था कि आप गलत बता रहे हैं। इसका पैसा तो 2010 में ही आ गया। भारत सरकार का अंशदान ₹ एक करोड़ नवम्बर 2010 में स्वीकृत हुआ तथा राज्य सरकार का अंशदान ₹1.20 करोड़ नवम्बर 2011 में स्वीकृत किया गया।

समिति का मत था कि ये तो यह बता रहे हैं कि नवम्बर 2010 में ही आपके पास पैसा आ गया। आप यह बता रहे हैं कि दो महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय हैं और गांव, कस्बे, शहर के निकट दूसरी जगह सुविधा मिलने से लड़कियां यहाँ नहीं आ रही हैं।

समिति का मत था किइन हॉस्टल्स की स्वीकृति 2010 की है और 2014 में ही ये बन चुके हैं। एक-एक करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने नवम्बर 2010 में ही दे दिये और स्टेट की स्वीकृति 2011 में हो चुकी थी। आप बतायें, क्या आपने यह नहीं पढ़ा? यहाँ आप गलत मत बोलिये।

समिति का प्रश्न था कि आपने ओथ ली है। आप कैसे फाल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं।

समिति का मत था किआपके पास 2010 में ही पैसे आ गये और आप बता रहे हैं कि 2016 में पैसे आये हैं।

समिति का प्रश्न था कि आपके पास 2016 में और कोई पैसे आये हैं क्या?

समिति का मत था कि महिला छात्रावास बनाते हैं तो बाउण्ड्री-वॉल क्यों नहीं बनाते? बाउण्ड्री-वॉल नहीं होगी तो कोई बच्ची कैसे आयेगी?

समिति का प्रश्न था कि आपने एडिशनल फेसेलिटीज के लिये सरकार को कब-कब पत्र लिखा? आपके पास हॉस्टल के भवन निर्माण का पैसा आ गया, बाकी की सुविधाओं के लिये पैसे के लिये आपने कब-कब सरकार को लिखा?

समिति का मत था कि आपने भवन बना दिया, बाउण्ड्री-वॉल नहीं बनाई।

समिति का प्रश्न था कि आपने जवाब दिया है “The hostel building was constructed by PWD in Pratap Nagar of Jaipur city with an expenditure of ₹ 2.09 crore in February 2014.”

समिति का मत था किइनके जवाब से ही बोल रहा हूँ। हो सकता है कि 2014 में यह कम्पलीट हो गये हों, लेकिन पेपर्स पर 2016 में, बाद में किया होगा। 2014 में आप बता रहे हैं, यूज करने के लायक हुआ है।

समिति का प्रश्न था कि आपने 26 हॉस्टल बनाये हैं, 26 की यही हालत है क्या?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि यह 26 हॉस्टल बने थे। सेन्ट्रल से एक-एक करोड़ की ग्राण्ट स्वीकृत हुई थी। ₹95 लाख का भवन बनना था और ₹5 लाख में फर्नीचर और अन्य सुविधाएं देनी थीं।

समिति का मत था कि₹95 लाख में आपने बाउण्ड्री-वॉल का नहीं सोचा होगा। आपने रूम्स के कंस्ट्रक्शन को ही भवन मान लिया होगा।

समिति का प्रश्न था कि भवन निर्माण में बाउण्ड्री-वॉल नहीं आती क्या? बिना बाउण्ड्री-वॉल के कौन अपनी बच्चियों को रोकेगा, कैसे रोकेगा, आप अपनी बच्चियों को रोक सकते हैं क्या?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि नहीं रोक सकता।

समिति का प्रश्न था कि फिर कोई कैसे रोकेगा? इसी वजह से 4 बच्चियां ही आएंगी।

समिति का मत था किआपको भवन बनाने से पहले बाउण्ड्री-वॉल बनानी चाहिए थी। पहले बाउण्ड्री-वॉल बनती फिर मुख्य भवन बनता।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि फिर 50 सीटर भवन नहीं बनता।

समिति का प्रश्न था किबाउण्ड्री-वॉल जरूरी थी न।

समिति का मत था कि Building means boundary walls. Without boundary walls there is no mean.

निदेशक ने उत्तर में बताया कि साल भर में सभी की बाउण्ड्री-वॉल बना देंगे।

समिति का प्रश्न था किअब पैसा कहां से आयेगा?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि प्लान में प्रावधान किया है। हमारे फाइनेंशियल प्लान बजट और एन.जी.एफ., आई.डी.एफ. में भी पैसा रहता है।

समिति का प्रश्न था कि यह उस समय भी रहा होगा, लेकिन आपने सोचा नहीं।

समिति का मत था कि आप मनगढ़ंत जवाब दे रहे हैं।

समिति का मत था किआप थोड़ी देर पहले ओथ लेकर गलत जवाब दे चुके हैं। अब दुबारा गलत जवाब मत दीजिये।

समिति का प्रश्न था किआपने कुल कितने हॉस्टल बनाये हैं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि26 बनाये हैं।

समिति का प्रश्न था किसभी में केन्द्र और राज्य का प्रावधान था?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि नहीं, इसमें स्टेट का प्रावधान भी था। बाकी सभी जगह ₹एक-एक करोड़ के हॉस्टल का प्रावधान था।

समिति का प्रश्न था किइसका मतलब 26करोड़ का फण्ड आपको मिला। अब इनमें से चालू कितनी हालत में हैं? कितनों में बच्चियां रह रही हैं। बाकी 25 में कितने हॉस्टल्स में कितनी बच्चियां रह रही हैं?

समिति का आगे प्रश्न था किबाकी 25 में से कितने में बाउण्ड्री-वॉल बनी हुई है?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि एक में भी नहीं है।

समिति का प्रश्न था कि आपने इतने रुपये खर्च कर दिये जिसका कोई सदुपयोग नहीं हो पाया। आपने बाउंड्री-वॉल तक नहीं बनाई तो कौन अभिभावक अपनी बच्चियों का एडमिशन वहाँ पर करवाएगा?

समिति का आगे प्रश्न था कि क्या हॉस्टल वार्डन एवं हॉस्टल मेंट्रन के पद वहाँ के लिए स्वीकृत हैं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि नहीं है।

समिति का प्रश्न था कि बिना हॉस्टल वार्डन एवं बिना हॉस्टल मेंट्रन के हॉस्टल्स कैसे चलेंगे? इन सारी लापरवाहियों के लिए कौन जिम्मेदार है? बिल्डिंग्स तो पाँच साल पहले ही बन गयीं तो इन पाँच साल तक बिल्डिंग्स की रख-रखाव के लिए कितना खर्चा किया? वर्ष 2014 से लेकर अब तक रख-रखाव पर कितना खर्चा किया गया?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि नई बिल्डिंग्स हैं जो कि पाँच साल की गारंटी पीरियड में है।

समिति का प्रश्न था कि कितने साल की गारंटी पीरियड़ में है?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि पाँच साल।

समिति का प्रश्न था कि कितनी बिल्डिंग्स में ठेकेदार ने टूट-फूट की रिपेयरिंग इन पाँच साल में की? पाँच साल में कोई रिपेयरिंग किसी ठेकेदार ने की हो तो आप बता दीजिए। आप यहाँ पर ओथ लेकर कह रहे हैं, सही-सही जवाब दीजिए।

समिति का आगे प्रश्न था कि आप यह तो बता दीजिए कि क्या वह बिल्डिंग्स पी.डब्ल्यू.डी. से हैंडओवर भी हुई या नहीं हुई?

समिति का प्रश्न था कि इतना रुपया खर्च कर दिया। वहाँ पर हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल मेंट्रन के पद तक सृजित नहीं हैं तो आप खाली बिल्डिंग के ढांचे का करोगे क्या?

समिति का मत था कि हरेक हॉस्टल के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से ₹एक-एक करोड़ मिला है।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि टोटल ₹26 हॉस्टल के लिए ₹26 करोड़ सेंक्शन हुए थे लेकिन 26 के अगेंस्ट में ₹23 करोड़ ही मिले हैं। इस कारण से तीन हॉस्टल कम्प्लीट नहीं हो पाये हैं, 23 ही कम्प्लीट हो पाये हैं।

समिति का प्रश्न था कि यह हॉस्टल काम भी आ रहे हैं या नहीं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि अदर परपज हेतु भी उपयोग में आ रहे हैं जैसे- प्रदर्शनी हेतु, एन.सी.सी. आदि के संचालन हेतु एवं एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वाराइंस्पेक्शन, दर्शायी गयी भवन संबंधी कमियों को पूरा करने के लिए छात्रावास का उपयोग, वह इंस्पेक्शन करते हैं।

समिति का मत था कि जिस कार्य के लिए छात्रावासों को बनाया गया, उस कार्य के उपयोग में तो यह आ नहीं रहे हैं और अदर परपज में इनका उपयोग कर रहे हैं तो यह तो दूसरी घोर गलती कर रहे हैं। इनका उपयोग छात्रावासों के लिए किया जाना चाहिए था।

समिति का प्रश्न था कि कमेटी के सामने यह पूरा मामला आ गया। 26 छात्रावासों के बारे में यह आक्षेप है। इन 26 छात्रावासों का आज की तारीख में क्या उपयोग हो रहा है, आप इसकी पूरी जानकारी समिति को दे दें। प्रत्येक छात्रावास की जानकारी दे दें कि आज की तारीख में प्रत्येक छात्रावास का क्या उपयोग हो रहा है?

समिति का मत था कि आप पूरी लिस्ट बनाकर समिति को दे दें।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि जी।

समिति का प्रश्न था कि इन हॉस्टल्स में बच्चियां हैं क्या?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि सांगानेर में 7 बच्चियां आ गईं।

समिति का प्रश्न था कि वह जवाब तो पहले ही आ चुका है। सांगानेर में दूसरे कॉलेज की बच्चियों ने शायद एडमिशन लिया है, आपके पॉलिटेक्निक की नहीं है। आप तो इन 26 छात्रावासों के बारे में बताएं कि आज की तारीख में क्या स्थिति है?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि 23 कम्प्लीट हो चुके हैं और 3 अधूरे हैं।

समिति का प्रश्न था कि तीन अधूरे क्यों हैं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा ही रिलीज नहीं किया। ₹ 26 करोड़ के अगेंस्ट में ₹ 23 करोड़ ही रिलीज किये हैं इस कारण से तीन छात्रावास अधूरे हैं।

समिति का मत था कि भारत सरकार ने जब ₹ 26 करोड़ स्वीकृत किये थे तो ₹ 23 करोड़ ही क्यों आए? तीन करोड़ रुपये क्यों नहीं आए? हो सकता है आपने समय पर यू.सी. नहीं भेजी हो।

निदेशक ने उत्तर में बताया कि यह 26 छात्रावासों की पूरी डिटेल हमारे पास में है।

समिति का मत था कि आपने समय पर यू.सी. नहीं भेजी होगी वरना सेंट्रल गवर्नमेंट से नार्मली पैसे आ जाते हैं।

समिति का प्रश्न था कि तीन करोड़ क्यों नहीं आए, एक तो आप वह कारण बताएं। दूसरा, मेरा यह कहना है कि जो 23 छात्रावास आपने कम्प्लीट कर दिये लेकिन अभी तक वह यूज में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर छात्रावासों का संचालन नहीं हो रहा है, तो पहले आप इन 23 छात्रावासों को यूज में लें, वहाँ पर छात्रावासों का संचालन करें, नहीं तो आप यह तीन और बना देंगे तो वह भी यूज में नहीं आएंगे और पैसा अनावश्यक रूप से खर्च हो जाएगा तो पहले आप ऐसी कोई व्यवस्था करें जिससे जो 23 छात्रावास बन गये हैं उनका यूज हो जाए, वहाँ पर छात्रावास सुचारु रूप से चल जाए।

समिति का आगे मत था कि जो तीन अधूरे हैं, वह तीन जगह कौन-कौन सी है?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, अलवर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सीकर एवं गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयपुर का काम अधूरा है। अब उनको लोकल फंड से पूरा करेंगे।

समिति का प्रश्न था कि कौनसे लोकल फंड से करेंगे?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि हर संस्था का इंस्टीट्यूशनल डवलपमेंट फंड (IDF) होता है।

समिति का मत था कि जो 23 छात्रावास कम्पलीट है, पहले आप वहाँ पर बाउंड्री-वॉल तो बना दीजिए जिससे वह उपयोग में आ सकें।

समिति ने आगे मत व्यक्त किया कि आपने जो अपना विभागीय उत्तर दिया है, मैं उसको पढ़कर आपको सुना रहा हूं:-

'उक्त बिंदु के संदर्भ में यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि 2009-10 तक बिंदु संख्या 01 में दर्शित सारणी के अनुसार सत्र 2009-10 में मात्र 27 राजकीय एवं 44 निजी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय थे परंतु भारत सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने की सरकार की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत महाविद्यालय एवं उनकी प्रवेश क्षमता में बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय नीति होने के कारण, उक्त तथ्य राज्य के विभागीय नियोजन में नहीं था। आधुनिक भारत में अभिभावकों के मन में भय/सुरक्षा के प्रति संदेह की भावना एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते नित नये अपराध एवं दुष्कर्मों की घटनाएं हॉस्टल सुविधा के व्यापक उपयोग में बाधक है। यह तथ्य अत्यन्त विचारणीय है जो हॉस्टल जैसी सुविधा के व्यापक उपयोग में बाधक की भूमिका निभाता है।'कौन ऐसी भाषा यहाँ पर लिखकर भेज रहा है? आपने इसको पढ़ा है? कौनसे हॉस्टल में दुष्कर्म की घटना हुई?

समिति का प्रश्न था कि कौन ऐसे उत्तर बनाता है?

समिति का मत था कि पी.ए.सी. को सरकार की तरफ से ऐसे जवाब आ रहे हैं, यह उचित नहीं है। जवाब देने से पहले आप पढ़ते भी नहीं हैं।

समिति का मत था कि आप अपने जवाब का लास्ट पैरा, पेज नम्बर-6 पढ़ लीजिए जिसमें यह सारी बातें कही गयी हैं।

समिति का स्पष्ट मत था कि किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, पूरे विभाग के प्रति हमारी यह टिप्पणी है, जवाब देने से पहले आप पढ़ते ही नहीं है।

समिति का मत था कि सभापतिजी, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी उत्तर को देखते हैं, उसके बाद समिति को जवाब भेजा जाता है।

समिति का मत था कि जिनको भी यह देखना चाहिए था, उन्होंने बिना देखे ही यहाँ पर जवाब भेज दिया।

समिति का मत था कि आप कितने सीनियर ऑफिसर हैं लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहे हैं। समिति को सीरियसली नहीं ले रहे हैं।

समिति का प्रश्न था कि यह दिनांक 21.10.2019 का आपका नवीनतम उत्तर है। इसका लास्ट पैरा आप खुद पढ़ लीजिए। अगर गवर्नमेंट सैक्रेटरी का ही यह व्यू होगा तो फिर क्या हाल होगा? आपके छात्रावासों में कितनी बलात्कार की घटनाएं हुईं?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि नहीं हुई।

समिति का प्रश्न था कि अगर सरकार का भी व्यू यही है तो फिर छात्रावास क्यों बनाते हो?

समिति का प्रश्न था किवहाँ पर बाउंड्री-वॉल तक नहीं है, चौकीदार नहीं है, हॉस्टल वार्डन नहीं है, हॉस्टल मेंट्रन नहीं है तो कौन अपनी बच्चियों को वहाँ पर भेजेगा?

समिति का मत था किवहाँ पर सुविधाओं की कमी है इसलिए अभिभावक अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं। न तो वहाँ पर बाउंड्री-वॉल है, न हॉस्टल वार्डन है, न हॉस्टल मेंट्रन है, न चौकीदार है तो कैसे कोई अपनी बच्ची को वहाँ पर भेजेगा? अन्यथा, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी को देख लीजिए, वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल है, वहाँ पर बच्चियां रह रही हैं, महारानी कॉलेज का जो एनिबिसेंट हॉस्टल है, वहाँ पर बच्चियां रह रही हैं, उनके मन में तो किसी प्रकार का भय और असुरक्षा की भावना नहीं है। आप भी अगर पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो वहाँ पर भी भय और असुरक्षा की भावना बच्चियों के मन में और बच्चियों के अभिभावकों के मन में नहीं होगी।

समिति का आगे मत था कि 26 के 26 हॉस्टल्स में आप पूरी सुविधाएंउपलब्ध करा दीजिए। वहाँ पर बाउंड्री-वॉल बनाएं। वहाँ परहॉस्टल वार्डन, हॉस्टल मेंट्रन, चौकीदार आदि के पद सृजित करें तब जाकर ही यह हॉस्टल्स सुचारु रूप से चल पाएंगे।

समिति का आगे मत था कि आपका यहाँ पर यह जवाब देना ठीक नहीं है कि अभिभावकों के मन में भय/सुरक्षा के प्रति संदेह की भावना एवं बालिकाओं के प्रति बढ़ते नित नये अपराध एवं दुष्कर्मों की घटनाएं हॉस्टल सुविधा के व्यापक उपयोग में बाधक है। आप पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे तो कोई भय और असुरक्षा बच्चियों के मन में और उनके अभिभावकों के मन में नहीं रहेगी।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि बच्चियों के प्रति सामान्य रूप से अभिभावकों के मन में भय और सुरक्षा के प्रति संदेह की भावना हमेशा बनी रहती है, यह इसी परिप्रेक्ष्य में सामान्य रूप से लिखा गया है। परंतु साथ ही इनको यह रिप्लाई भी देना चाहिए था कि चूंकि वहाँ पर बाउंड्री-वॉल

नहीं है, चौकीदार नहीं है, हॉस्टल वार्डन एवं हॉस्टल मेंट्रन नहीं है इसलिए अभिभावक अपनी बच्चियों को वहाँ पर भेजना नहीं चाहते।

समिति का मत था कि हां, आपने अब यह सही बात कही है।

समिति का आगे मत था कि जैसा आपने अब कहा, इनको भी अपने जवाब में यही लिखना चाहिए था। आप भी महिला हो, आपको तो सोचना चाहिए।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि जैसा पी.ए.सी. का निर्देश है, इसके लिये महिला सुरक्षा को लेकर हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट से पैसा लेने में मदद मिलेगी।
समिति का प्रश्न था कि इस जवाब में यह लेंग्वेज किसने लिखी है, यह तो बताओ।
शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि यह जनरल संदर्भ में व्याख्या की गयी है।
समिति का मत था कि संदर्भ व्याख्या यह है कि पाँच साल के आपके निकम्मेपन को छिपाने के लिये इस तरह का लचर व्यू पी.ए.सी. के सामने लिखा है। आप चाहते तो 2014 में बालिकाओं के छात्रावास की बाउंड्री के लिये पैसा मिल जाता। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि किसी भी ऑनरेबल पर्सन के ध्यान में यह जानकारी लायी जाती कि बाउण्ड्री-वॉल के कारण उन छात्रावासों का उपयोग नहीं हो रहा है तो तुरंत सरकार द्वारा इसका पैसा दे दिया जाता।
समिति का मत था कि इनकी नीति तो है नहीं कि हॉस्टल चले तो अननेसेसरी सरकार का पैसा भी क्यों बर्बाद हो। यह पैसा दूसरे उपयोगी कार्यों में खर्च हो जिससे जनता का भला हो सके।
समिति का आगे मत था कि इन 26 हॉस्टल के बारे में आप लिखित में बताइये कि पाँच साल में इनमें कितना पैसा तो आपने मेंटीनेंस पर खर्च किया, कितना ठेकेदार ने खर्च किया, इनका उपयोग क्या हो रहा है, यह हम ए.जी. साहब से दुबारा रिपोर्ट लेंगे।
समिति का मत था कि पहले बाउण्ड्री-वॉल तो बनवाओ वहाँ पर उन सबकी।
शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि आप सही कह रहे हैं कि अगर हमारे पॉलीटेक्निक हॉस्टल सुरक्षित होंगे तभी तो वहाँ पर लड़कियां रहने आएंगी। अगर वहाँ पर बांउड्री-वॉल बन जाए तो सोशल इंटरेस्ट में असेट भी क्रिएट हो जाएगी।
समिति का मत था किबाउण्ड्री-वॉल के साथ, हॉस्टल वार्डन एवं मेंट्रन, यह तीनों चीजें होंगी तभी यहाँ पर लड़कियां रहने आएंगी।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि हम कांट्रेक्ट पर वार्डन नहीं रख सकते। कांट्रेक्ट पर वार्डन रखने में हमें मुश्किल आती है। यहाँ से पहले मैं समाज कल्याण विभाग में थी, वहाँ हम देखते थे, आये दिन परेशानी होती थी।

समिति का मत था कि इसमें जो रिटायर लोग हैं, आपको बहुत सारी महिलाएं मिल जाएंगी, जो वहाँ पर वार्डन का काम कर सकती हैं। मेरे खुद सिरोही जिले में महिला को लगा रखा है।

समिति का प्रश्न था किवहाँ पर बाथरूम वगैरह तो बने हैं न?

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि और सारी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं।

समिति का मत था कि आपके द्वारा बताये 26 छात्रावासों का वर्तमान में क्या उपयोग हो रहा है, इनके लिये पाँच साल में क्या एफोर्ट्स हुए, हम ए.जी. साहब से आडिट करवा लेंगे कि इन छात्रावासों का इनके अलावा और क्या उपयोग हो सकता है? आप इनका उपयोग करने की स्थिति में हैं या नहीं, वह ए.जी. साहब बता देंगे। इसके साथ ही जो रेस्पांसिबल था इनके लिये, उसका भी आप बता दीजिये। यह बिना प्लानिंग के, बिना जानकारी के बनाएँ और इनको चलाने के लिये पाँच साल में एफोर्ट्स किये नहीं, किसी अधिकारी ने जाकर देखा नहीं, यह सब आप समिति को भिजवा दीजिये।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि यह भारत सरकार से पैसा आया था, अच्छे उद्देश्य से आ रहा है तो उससे कम से कम महिला पॉलीटेक्निककॉलेज छात्रावास बना लिया जाए। पर आधी-अधूरी प्लानिंग से बनाया, यह गलत है।

समिति का प्रश्न था कि पैसा आकर हॉस्टल बनाने का विचार तो अच्छा है, लेकिन उसका यूज नहीं हो रहा है तो वह पैसा भी बेकार गया। बिल्डिंग जीर्ण-शीर्ण हो रही है। कम से कम बाउण्ड्री-वॉल तो पहले बनानी चाहिए, उसके बाद बिल्डिंग बनानी चाहिए।

समिति का आगे मत था कि इसके साथ-साथ विभाग की इसके संचालन के लिये कोई तैयारी नहीं थी। न तैयारी पहले की और न बिल्डिंग बनाने के बाद तैयारी की। मान लो अगर यह पैरा नहीं बनता तो इस पर चर्चा ही नहीं होती। यह ऐसे ही पड़ा रहता।

समिति का आगे मत था कि यह तो देख लो कि लोग वहाँ से दरवाजे-खिड़कियां तो उखाड़कर नहीं ले गये। वहाँ पर आपको दरवाजे-खिड़कियां कहीं मिले ही नहीं।

समिति का आगे मत था कि आपको जो भी अन्वेषण करना है, यह कब तक करके बता देंगे। पाँच साल में जिसकी रेस्पांसिबिलिटी थी, कौन जिम्मेदार था, जिसकी वजह से एफोर्ट्स नहीं हो पाए, पैसा मांगा गया या नहीं मांगा गया, यह सब सूचना आप 30 दिवस के भीतर समिति को अवश्य भिजवा दें। 30 दिवस का समय मैं समझता हूं, काफी है।

शासन सचिव ने उत्तर में बताया कि रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करने के लिये?

समिति का प्रश्न था कि रेस्पांसिबिलिटी बाद में आएगी, आपसे बात करके व्यू ले लेंगे। पाँच साल में किसी आदमी ने एफोर्ट्स नहीं किये। आप व्यक्तिगत चाहें तो प्रयास कर सकते हैं। यह टोटली एक अनुपयोगी योजना है। आप खुद जानते हैं कि उस बिल्डिंग की हालत पाँच साल में क्या हुई होगी?

समिति का मत था कि सचिव महोदय, आप खुद निरीक्षण करो। यह वेस्टेज ऑफ मनी है।

समिति का प्रश्न था कि आपने एडमिशन प्रोसेस कभी स्टार्ट किया क्या?

निदेशक ने उत्तर में बताया कि2013-14 में मैं बीकानेर में प्रिंसिपल था, मैंने सबसे पहले वहाँ पर 11 फीट ऊंची बाउण्ड्री-वॉल बनवाई थी।

समिति का प्रश्न था कि यह सब बातें तथ्य छिपाने के लिये हैं। हमारे यहाँ कस्तूरबा छात्रावास चल रहा है, गर्ल्स कॉलेज के छात्रावास चल रहे हैं, और भी अन्य सभी चल रहे हैं और पूरी कैपेसिटी से चल रहे हैं। वहाँ पर आदिवासी परिवारों की लड़कियां एडमिशन ले रही हैं। आप बताओ कौन भयभीत है?

समिति का मत था कि अगर उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी तो वह आकर रहेंगी। आप अगर जाकर वहाँ देखोगे तो ही तो पता चलेगा। अगर आप वहाँ जाओगे ही नहीं तो क्या पता चलेगा।

दिनांक 24.10.2019 को साक्ष्य के दौरान समिति द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में विभाग ने लिखित उत्तर में बताया कि

बिन्दु-समिति द्वारा निदेशालय अन्तर्गत 26 कन्या छात्रावासों का वर्तमानमें क्या उपयोग हो रहा है व उपयोग में लाने के लिए क्या प्रयास किये गये, मरम्मत पर कितना खर्च किया गया व इनका वैकल्पिक उपयोग क्या हो सकता है के संबंधमें वस्तुस्थिति की रिपोर्ट चाही गयी है।

जवाब-इस संबंध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, जोधपुर से समस्त महिला छात्रावासों के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट सारणी में प्राप्त की गई है, जो परिशिष्ठ-2 पर हैजिसका समिति ने अवलोकन किया।

समिति का अभिमत

समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा सांगानेर छात्रावास हेतु बाहरी छात्राओं की प्रवेशितसंख्या के बजाय पूर्ण स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजे जानेके कारण छात्रावास का अब तक पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो सका एवं उस पर किया गया व्यय निष्फल रहा; अतः त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं हुए निष्फल व्ययके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जावे।

समिति सिफ़ारिश करती है कि सांगानेर छात्रावास में लगातार वर्षों में किसी भी छात्रा द्वारा प्रवेश न लेने का कारण असुरक्षा का वातावरण जिसमें मुख्यतः हॉस्टल वार्डन, मेंट्रन, बाउंड्री वॉल, कॉमन गर्ल्स रूम इत्यादि एवं अन्य असुविधाओं का अभाव रहा जिस हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास नहीं किये गए। इस विभागीय शिथिलता के कारण किया गयाव्यय निष्फल रहा,इस विभागीय विफलता के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही करकी गयी कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि राज्य में निर्मित/निर्माणाधीन सभी 26 महिला छात्रावासोंके निर्माण, संचालन एवं उनमें प्रवेश हेतु किये जा रहे प्रयासों के पूर्ण विवरण एवं इनके प्राप्तपरिणामों के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा राज्य में सभी निर्मित/निर्माणाधीन सभी 26 महिला छात्रावासों में रखरखाव के लिए की गई व्यवस्थाके पूर्ण विवरण एवं छात्रावासों में उपलब्ध एवं दी जा रही सुविधाओं के पूर्ण विवरणसे शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि सभीछात्रावासों में हॉस्टल वार्डन एवं हॉस्टल मैट्रन का पद सृजित न करने एवं बाउंड्री वाल नहीं बनवाने की इस विभागीय

शिथिलता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

समिति सिफ़ारिश करती है कि सभी 26 छात्रावासों में हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल मेंट्रन का पद सृजित कर पदस्थापन कर, बाउंड्री वॉल व कॉमन रूम एवं सभी आवश्यक/वाँछित सुविधाओं की उपलब्धता एवं शेष रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाकर पूर्ण विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।

जन लेखा समिति को दिनांक 24.10.2019 के परीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासन एवं आश्वासनों के सन्दर्भ में महिला छात्रावासों की स्थिति अनुसार शेष 3 अधूरे छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर उनके संचालन/उपयोगिता की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।

विधानसभा भवन, **(गुलाब चन्द कटारिया)**
जयपुर। **सभापति**
दिनांक: **जनलेखा समिति, वर्ष2019-20**

परिशिष्ठ-एक

सिफ़ारिशों का सार

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या	पैरा संख्या	अनुच्छेद संख्या	विवरण
1.			3.8	समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा सांगानेर छात्रावास हेतु बाहरी छात्राओं की प्रवेशितसंख्या के बजाय पूर्ण स्वीकृत प्रवेश क्षमता के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव भेजे जानेके कारण छात्रावास का अब तक पूर्ण उपयोग संभव नहीं हो सका एवं उस पर किया गया व्यय निष्फल रहा; अतः त्रुटिपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं हुए निष्फल व्यय के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जावे।
2.				समिति सिफ़ारिश करती है कि सांगानेर छात्रावास में लगातार वर्षों में किसी भी छात्रा द्वारा प्रवेश न लेने का कारण असुरक्षा का वातावरण जिसमें मुख्यतः हॉस्टल वार्डन, मेंट्रन, बाउंड्रीवॉल, कॉमन गर्ल्स रूम इत्यादि एवं अन्य असुविधाओं का अभाव रहा जिस हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास नहीं किये गए। इस विभागीय शिथिलता के कारण किया गयाव्यय निष्फल रहा, इस विभागीय विफलता के लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही करकी गयी कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
3.				समिति सिफ़ारिश करती है कि राज्य में निर्मितनि/र्माणाधीन सभी 26 महिला छात्रावासोंके निर्माण, संचालन एवं उनमें प्रवेश हेतु किये जा रहे प्रयासों के पूर्ण विवरण एवं इनके प्राप्तपरिणामों के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
4.				समिति सिफ़ारिश करती है कि विभाग द्वारा राज्य में सभी निर्मित/निर्माणाधीन सभी 26

				महिला छात्रावासों में रखरखाव के लिए की गई व्यवस्थाके पूर्ण विवरण एवं छात्रावासों में उपलब्ध एवं दी जा रही सुविधाओं के पूर्ण विवरण से शीघ्र समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
5.				समिति सिफ़ारिश करती है कि सभीछात्रावासों में हॉस्टल वार्डन एवं हॉस्टल मैट्रन का पद सृजित न करने एवं बाउंड्री वाल नहीं बनवाने की इस विभागीय शिथिलता के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरूद्ध शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही के पूर्ण विवरण से समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
6.				समिति सिफ़ारिश करती है कि सभी 26 छात्रावासों में हॉस्टल वार्डन, हॉस्टल मेंट्रन का पद सृजित कर पदस्थापन कर, बाउंड्री वॉल व कॉमन रूम एवं सभी आवश्यक/वाँछित सुविधाओं की उपलब्धता एवं शेष रहे कार्यों को शीघ्र पूरा करवाकर पूर्ण विवरण सहित समिति एवं प्रधान महालेखाकार कार्यालय को अवगत कराया जाये।
7.				जन लेखा समिति को दिनांक 24.10.2019 के परीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासन एवं आश्वासनों के सन्दर्भ में महिला छात्रावासों की स्थिति अनुसार शेष 3 अधूरे छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर उनकेसंचालन/उपयोगिता की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाये।

परिशिष्ट-दो

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनान्तर्गत 26 महिला छात्रावासों की वर्तमान स्थिति (दिनांकः 23.11.2019)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक **F.No.26-1/2009TS.IV Dated29.06.2009** के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नीति के अन्तर्गत राजस्थान सहित अनेक राज्यों में राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में छात्राओं के प्रवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन संस्थाओं में महिलाओं हेतु छात्रावास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति संस्था ₹ 100.00 लाख का अनुदान तय किया गया।

भारत सरकार द्वारा संस्थाओं में उपलब्ध संसाधनों का गुणावगुण अध्ययन न कर बालिका सशक्तिकरण के वृहद् उद्देश्य से देश के अनेक राज्यों में संचालित पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों का चयन कर महिला छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लेकर राशि चैक के माध्यम से सीधे ही संस्थाओं कोप्रेषित कर दी गई थी।अतः इस चयन में राज्यों का योगदान नही था।भारत सरकार द्वारा **lump sum**₹100.00 लाख प्रति छात्रावास पहले ही तय कर राज्य सूचित किया गया। वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण की लागत और ज्यादा बढ़ेगी। बालिका छात्रावासों को आगामी वर्षो के लिये हमारी अति अहम आधी आबादी (बालिका)के सशक्तिकरण हेतु किया गया निवेश कहा जा सकता हैं जो कि एक सही सोच व देश–प्रदेशकी उन्नति के लिये आवश्यक है।

उक्तप्रति संस्था ₹ 100.00 लाख की राशि 2010–11 से 2016–17 तकराज्य सरकार को किश्तों में प्राप्त हुई। जो पी.डब्लू.डी. द्वारा 2017–18 तक व्यय की गई। पी.डब्लू.डी. पर इस विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं है।

बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा की ओर प्रेरित करने हेतु राज्य सरकार एवं सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा समय–समय पर प्रयास किये जा रहे हैं। प्राचार्यो द्वारा एवं निदेशालय स्तर पर इन सभी महिला छात्रावासों को यूज करने हेतु लगातार विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अब 9 महिला छात्रावासों में 120छात्राएं रह रही हैं।महिला छात्रावास भरतपुर को 2 माह में छात्राओं के लिये उपयोग में ले लिया जायेगा।

23 छात्रावासों का कार्य पूर्ण होकर संबंधित संस्थाओं को सुपुर्द किया जा चुका है।तीन छात्रावास में मेजर कार्य पेण्डिंग रह गये है। उन्हें पूरा करने के लिये प्रशासनिक विभाग से आवश्यक स्वीकृतियां जारी करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। विभाग की बजट निर्णायक समिति की आगामी बैठक में आवश्यकतानुसार प्रस्ताव सम्मिलित किये जाएंगें।

महिला छात्रावास निर्माण नवीन है। अतः मैंटेनेंस में कोई व्यय नहीं किया गया। वित्तीय सीमितता होने केकारण बी.एफ.सी. में प्रावधान नहीं किया गया।

निदेशालय के पत्रांक 19310 दिनांक23.11.2019 द्वारा3 अधूरे छात्रावासों को पूर्ण करवाने हेतु राशि ₹ 194.80 लाख आरपीईटी की बचत राशि में से व्यय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। निर्मित महिला छात्रावास संस्था परिसर के अन्दर होने के कारण अलग से बाउंड्री वॉल की आवश्यकता नहीं है। 23 महिला छात्रावासों में वार्डन की नियुक्ति की जा चुकी है।

<u>परिशिष्ट-तीन</u>(राशि ₹ लाखों में)

क्र. सं.	पॉलिटेक्निक महाविद्यालय का नाम	भवन निर्माण की वर्तमान स्थिति	निर्माण पूरा होने का वर्ष	व्यय राशि	प्राप्त राशि				छात्रावास बैड क्षमता	प्रवेशित छात्राओं की संख्या	विशेष विवरण (उपयोग नहीं होने के कारण/समाधान के प्रयास)
					केन्द्रीय अंश		राज्य अंश				
					राशि	वर्ष	राशि	वर्ष			
1.	राजकीय पॉलि. महा., अजमेर	पूर्ण	30.10.12	107.56	20.00 25.00 45.00 8.47	2010–11 2011–12 2012–13 2015–16	–	–	24	10	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं।
2.	राजकीय पॉलि. महा., अलवर	निर्माण कार्य अपूर्ण	–	62.30	20.00 70.00	2010–11 2012–13	–	–	–	निर्माण कार्य अपूर्ण	राज्य योजनान्तर्गत संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य करवाने की स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण पूर्ण कर उपयोग में लिये जायेगें।
3.	राजकीय पॉलि. महा., बांसवाड़ा	पूर्ण	2014	110.41	20.00 70.00	2010–11 2011–12	–	–	24	0	प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
4.	राजकीय पॉलि. महा., बाड़मेर	पूर्ण	2016	83.82	20.00 70.00	2010–11 2012–13	–	–	24	6	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं।
5.	राजकीय पॉलि. महा., भरतपुर	पूर्ण	2014	114.90	20.00 70.00	2010–11 2012–13	–	–	50	0	अध्ययनरत् छात्राऐं स्थानीय होने के कारण प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए। मेडिकल कॉलेज से सम्पर्क किया गया है। छात्रावास उपयोग में ले लिया जायेगा। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।

6.	राजकीय पॉलि. महा., बीकानेर	पूर्ण	2017	109.12	50.00 40.00	2010–11 2012–13	–	–	24	0	प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
7.	राजकीय पॉलि. महा., चित्तोडगढ़	पूर्ण	2015	92.15	20.00 70.00	2010–11 2011–12	–	–	48	0	प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
8.	राजकीय पॉलि. महा., चुरू	पूर्ण	2013	98.69	20.00 70.00	2010–11 2011–12	–	–	48	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
9.	राजकीय पॉलि. महा., झालावाड़	पूर्ण	2014	102.06	20.00 70.00 9.28	2010–11 2012–13 2015–16	–	–	48	24	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं।
10.	राजकीय खेतान पॉलि. महा., जयपुर	निर्माण कार्य अपूर्ण	–	73.77	50.00 40.00	2010–11 2012–13	–	–	–	निर्माण कार्य अपूर्ण	राज्य योजनान्तर्गत संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य करवाने की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण पूर्ण कर उपयोग में लिये जायेगें।
11.	राजकीय पॉलि. महा., जोधपुर	पूर्ण	10.04.2013	99.56	50.00 40.00 9.53	2010–11 2012–13 2015–16	–	–	24	17	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर और आवेदन आमंत्रित किये हैं।

12.	राजकीय पॉलि. महा., कोटा	पूर्ण	2014	117.52	50.00 40.00 9.62	2010–11 2013–14 2014–15	–	–	50	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
13.	राजकीय पॉलि. महा., पाली	पूर्ण	2015–16	75.22	20.00	2010–11	–	–	12	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
14.	राजकीय पॉलि. महा., सवाईमाधोपुर	पूर्ण	2014–15	99.67	20.00 70.00	2010–11 2011–12	–	–	24	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
15.	राजकीय पॉलि. महा., सिरोही	पूर्ण	2018–19	91.29	20.00 70.00	2010–11 2012–13	–	–	25	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने

											विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
16.	राजकीय पॉलि. महा., सीकर	निर्माण कार्य अपूर्ण	—	106.31	20.00 70.00	2010—11 2012—13	—	—	—	निर्माण कार्य अपूर्ण	राज्य योजनान्तर्गत संसाधन उपलब्ध होने / आर.पी.ई.टी. की बचत राशि से कार्य करवाने की स्वीकृति प्राप्त होते ही निर्माण पूर्ण कर उपयोग में लिये जायेगें।
17.	राजकीय पॉलि. महा., राजसमन्द	पूर्ण	2013—14	95.02	20.00 70.00	2010—11 2012—13	—	—	50	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
18.	राजकीय पॉलि. महा., श्रीगंगानगर	पूर्ण	2013	108.23	20.00 70.00	2010—11 2011—12	—	—	52	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
19.	राजकीय पॉलि. महा., नीमराणा	पूर्ण	22.01.2015	101.77	50.00	2011—12	—	—	24	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं।

											विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम, इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
20.	राजकीय महिला पॉलि. महा., अजमेर	पूर्ण	09.12.2014	60.50	20.00 70.00	2010–11 2013–14	–	–	18	7	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर और आवेदन आमंत्रित किये हैं।
21.	राजकीय महिला पॉलि. महा., बीकानेर	पूर्ण	28.02.2014	101.25	20.00 70.00	2010–11 2011–12	–	–	50	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम,इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।
22.	राजकीय महिला पॉलि. महा., गांधी नगर, जयपुर	पूर्ण	28.02.2019	106.49	50.00 40.00 9.63	2010–11 2013–14 2014–15	–	–	50	23	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर और आवेदन आमंत्रित किये हैं।
23.	राजकीय महिला पॉलि. महा., जोधपुर	पूर्ण	10.04.2013	83.07	20.00 25.00 45.00 9.12	2010–11 2011–12 2012–13 2015–16	–	–	24	8	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर और आवेदन आमंत्रित किये हैं।
24.	राजकीय महिला पॉलि. महा., कोटा	पूर्ण	2014	115.45	20.00 70.00 9.58	2010–11 2011–12 2016–17	–	–	50	0	कॉलेज में प्रवेशित छात्राऐं स्थानीय होने के कारण छात्रावास में प्रवेश नहीं हुए। अन्य छात्राओं के प्रवेश के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। महिला छात्रावास में वार्डन की नियुक्ति कर दी गई है। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर आवेदन आमंत्रित किये हैं। विशेष प्रयास के उपरान्त भी छात्राएं नहीं प्रवेश लेती हैं, तो कॉलेज की ए.आई.सी.टी.ई./एन.बी.ए. द्वारा चाही गई विशेष आवश्यकताओं यथा प्रर्दशनी कक्ष, कॉमन रूम,इंडोर गेम्स रूम,एन.सी.सी. रूम, प्रयोगशाला, मेडिकल रूम आदि के लिये उपयोग में लिया जाना प्रस्तावित है।

25.	राजकीय महिला पॉलि. महा., सांगानेर	पूर्ण	2014–15	110.04 (केन्द्र व्यय) 129.98 राज्य व्यय)	20.00 70.00	2010–11 2011–12	120.24	2011–12	84	7	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर और आवेदन आमंत्रित किये हैं।
26.	राजकीय महिला पॉलि. महा., उदयपुर	पूर्ण	28.02.2011	103.62	20.00 70.00 9.44	2010–11 2011–12 2015–16	–	–	48	18	प्रवेश बढ़ाने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने विज्ञप्ति जारी कर और आवेदन आमंत्रित किये हैं।
									875	121	